

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

अमर प्रताप सिंह

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.12794

31 अगस्त, 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या याचिकाकर्ता, जिसने अपने पिता की 1976 में मृत्यु के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति की मांग की है, मृत्यु के 47 वर्षों के पश्चात कोई राहत प्राप्त कर सकता है?

हेडनोट्स

दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु के पाँच वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर अनुकम्पा नियुक्ति हेतु कोई आवेदन दायर नहीं किया गया और इसके अतिरिक्त, वर्तमान रिट याचिका भी विलम्ब से वर्ष 2015 में दायर की गई, जो दिवंगत कर्मचारी की मृत्यु के लगभग 39 वर्ष पश्चात है।

(कंडिका 4)

अनुकम्पा नियुक्ति कोई निहित अधिकार नहीं है जिसे कभी भी प्रयोग किया जा सके, क्योंकि अनुकम्पा नियुक्ति का उद्देश्य मृतक कर्मचारी के परिवार को उस तात्कालिक आर्थिक संकट से उबारना है, जो एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय उत्पन्न होता है। इसलिए, अनुकम्पा नियुक्ति काफी समय बीत जाने और संकट समाप्त हो जाने के बाद न तो दावा की जा सकती है और न ही दी जा सकती है। (कंडिका 4)

याचिका खारिज की जाती है। (कंडिका 6)

न्याय दृष्टान्त

उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, 1994 (4) एस.सी.सी. 138

अधिनियमों की सूची

कोई विशिष्ट अधिनियम उद्धृत नहीं।

मुख्य शब्दों की सूची

अनुकंपा नियुक्ति; देरी और प्रमाद; निहित अधिकार; आर्थिक संकट; नियुक्ति पात्रता

प्रकरण से उत्पन्न

याचिकाकर्ता के पिता, जो हसुरा थाना, जिला औरंगाबाद में कांस्टेबल थे, की 30.10.1976 को सेवा काल में मृत्यु के उपरांत अनुकंपा नियुक्ति का दावा।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्रीमती शशि प्रिया पाठक, अधिवक्ता

प्रत्यर्थियों की ओर से: श्री अविनाश कुमार, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में
2015 की दीवानी रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.12794**

=====

अमर प्रताप सिंह, पिता- स्वर्गीय बोध नारायण सिंह, निवासी गाँव-लार बाउटी, डाकघर-
लार, जिला-देवरिया उत्तर प्रदेश।

... .. याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य अपने प्रधान सचिव, गृह पुलिस विभाग, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. प्रधान सचिव, गृह पुलिस विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. पुलिस महानिदेशक, बिहार।
4. पुलिस महानिरीक्षक, बिहार।
5. पुलिस अधीक्षक, औरंगाबाद।

... .. उत्तरदाता/ओं

=====

उपस्थिति:

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्रीमती शशि प्रिया पाठक, अधिवक्ता
उत्तरदाता/ओं की ओर से : श्री अविनाश कुमार, अधिवक्ता

=====

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

तारीख: 31-08-2023

1. वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता के पिता की मृत्यु 30.10.1976 को हसुरा थाना, जिला-औरंगाबाद में कांस्टेबल के रूप में काम करते समय हुई थी, जिसके बदले में अनुकंपा के आधार पर रोजगार के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर विचार करने के लिए दायर की गई है।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दलील दी है कि 19 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, याचिकाकर्ता ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसके बाद उसे उत्तरदाता-प्राधिकारियों द्वारा बुलाया गया था, हालाँकि, 19.09.1981 के ज्ञापन द्वारा, याचिकाकर्ता को सूचित किया गया था कि याचिकाकर्ता की छाती का माप

कांस्टेबल के पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक माप से कम है, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने अपेक्षित छाती का माप प्राप्त कर लिया और दिनांक 07.03.1982 को एक नया आवेदन दायर करके अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए उत्तरदाताओं से संपर्क किया, हालाँकि, याचिकाकर्ता की शिकायत है कि उसे अभी तक अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी गई है।

3. इसके विपरीत, उत्तरदाता-राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने वर्तमान मामले में दायर प्रति-शपथपत्र का हवाला देते हुए दलील दी है कि उत्तरदाता के कार्यालय के अभिलेखों में अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए याचिकाकर्ता का कोई आवेदन उपलब्ध नहीं है, इसलिए यह संदेहास्पद है कि याचिकाकर्ता ने कभी अनुकंपा आधारित नौकरी के लिए आवेदन किया था। फिर भी, यह दलील दिया गया है कि अब मृतक कर्मचारी की मृत्यु के 47 वर्ष बीत जाने के बाद, याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती।

4. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है और अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है जिसमें से एक बात स्वीकार की जाती है कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु लगभग 47 साल पहले 30.10.1976 को हुई थी और याचिकाकर्ता की आयु इस समय लगभग 58 वर्ष है। यह भी विवाद का विषय नहीं है कि मृतक कर्मचारी की मृत्यु के पाँच वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर अनुकंपा रोजगार के लिए कोई आवेदन दायर नहीं किया गया था और इसके अलावा, वर्तमान रिट याचिका भी मृतक कर्मचारी की मृत्यु के लगभग 39 वर्ष बीत जाने के बाद वर्ष 2015 में विलंब से दायर की गई है, जो किसी भी दृष्टि से, मामले में देरी और विलंब से भरा हुआ है, इसलिए याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, यह एक सुस्थापित कानून है कि अनुकंपा आधारित रोजगार एक निहित अधिकार नहीं है जिसका प्रयोग किसी भी समय किया जा सकता है, क्योंकि अनुकंपा आधारित रोजगार का उद्देश्य मृतक के परिवार को तत्काल वित्तीय संकट से उबरने में सक्षम बनाना है, जो कि एकमात्र कमाने वाले की मृत्यु के समय होता है, इसलिए

काफी समय बीत जाने और संकट समाप्त हो जाने के बाद अनुकंपा आधारित रोजगार का दावा और प्रस्ताव नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 1994 (4) एसएससी 138 में प्रतिवेदित उमेश कुमार नागपाल बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, के मामले में दिए गए निर्णय का संदर्भ लिया जा सकता है।

5. यह न्यायालय यह भी उचित समझता है कि यदि किसी आवेदन पर लंबे विलंब के बाद विचार किया जाता है, तो न केवल मौजूदा रिक्तियों को नियमित रोजगार द्वारा भरा जा सकता है, बल्कि इसी तरह के अन्य मामले भी उत्पन्न हो सकते हैं, जहां मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करके तत्काल राहत प्रदान की जा सकती है, इसलिए विचारणीय बात यह है कि संकटग्रस्त परिवार को राहत कब दी जानी है, न कि किसी आश्रित के लिए नौकरी आरक्षित करना।

6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों और ऊपर उल्लिखित कारणों को ध्यान में रखते हुए, इस समय याचिकाकर्ता को कोई राहत नहीं दी जा सकती है, इसलिए वर्तमान रिट याचिका किसी भी योग्यता से रहित होने के कारण खारिज की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

सौरभ/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।